तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एक अन्य

बनाम

स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य

(2008 की दीवानी अपील संख्या 3940)

16 मई, 2008

[एस.बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर प्रशुल्क दरों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1978: धारा 3, 4 और 1978 के अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन करने वाले सरकारी आदेश एम.एस. संख्या 29 दिनांक 31.01.1995 एवं सरकारी आदेश एम.एस. दिनांक 14.02.2007:

उच्च तनाव उद्योगों के लिए प्रशुल्क छूट का उपबंध करने वाले सरकारी आदेश/अधिसूचना - केवल निर्दिष्ट तिथि तक स्थापित उद्योगों तक लाभ को सीमित करने वाले किए गए संशोधन - को चुनौती - याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वे उद्योग जिन्होंने या तो नियत तिथि से पहले बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए विद्युत बोर्ड को सूचित किया था या आवेदन किया था अथवा जो उद्योग निर्दिष्ट तिथि से पहले स्थापित किए गए थे, वे प्रशुल्क छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे - परंतु प्रशुल्क छूट का लाभ वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत के आधार पर उपलब्ध नहीं होगा - की सत्यता - अभिनिर्धारित: असत्य - उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों में नहीं गया बल्कि इस आधार पर आगे बढ़ा कि 1978 के अधिनियम की अनुसूची के परंतुक में प्रयुक्त 'स्थापित' शब्द को उसका कोशगत अर्थ दिया जाना चाहिए - 1978 के अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने वाली अधिसूचना कुछ प्रशुल्क छूट प्रदान करते हुए जारी की गई थी - इसमें आगे यह संशोधन किया गया कि 15.02.1997 को या उसके बाद स्थापित उद्योगों को प्रशुल्क में छूट की अनुमति नहीं होगी - किसी संविधि के शब्द को उसी संदर्भ में

पढ़ा जाना चाहिए जिसमें उसका प्रयोग किया गया है - अधिनियम की अनुसूची अधीनस्थ विधान का एक हिस्सा है और इसे उसी रीति से पढ़ा जाना चाहिए जैसे अधिनियम को - अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार उद्योगों को सेवा कनेक्शन का अनुदान छूट के अनुदान के लिए एक पूर्व-अपेक्षा माना गया था - इसी संदर्भ में आक्षेपित संशोधन का अर्थान्वयन किया जाना है - प्रश्नगत अधिसूचना एक व्यापक आधार वाली अधिसूचना है क्योंकि पूर्व-विद्यमान उद्योगों को भी छूट दी गई थी - अपीलकर्ता-बोर्ड ने किसी वचन के अनुसरण में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया था, अतः वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 1978 के अधिनियम की अनुसूची का परंतुक उन उद्योगों पर लागू है, जिन्होंने न केवल निर्दिष्ट तिथि से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, बल्कि उन पर भी लागू है जिन्होंने उसके लिए अपेक्षित राशि जमा करके सेवा कनेक्शन के लिए आवेदन किया था - संविधि का निर्वचन।

सिद्धांत/नियम:

(i) समकालीन व्याख्या का सिद्धांत - की प्रयोज्यता

(ii) वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत - की प्रयोज्यताशब्द और वाक्यांश:

'छूट अधिसूचना' - का अर्थान्वयन - अभिनिर्धारितः छूट अधिसूचना के लिए संविधि के रुख के आधार पर अर्थान्वयन आवश्यक है - इसे जनहित में वापस लिया जा सकता था

'संविधि' और 'नीतिगत निर्णय' - अधीनस्थ विधान के संदर्भ में दोनों के बीच अंतर।

तत्काल अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष अवधारण के लिए यह प्रश्न उठा कि उच्च तनाव उद्योगों के लिए प्रशुल्क छूट प्रदान करने वाली सरकारी अधिसूचना के निबंधनों में उपबंधित रियायती प्रशुल्क के संदर्भ में 'स्थापित' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है; क्या 'स्थापित' अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन तमिलनाडु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर प्रशुल्क दरों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1978 की अनुसूची के परंतुक में आने वाली अभिव्यक्ति 'प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे' के संदर्भ में किया जाना चाहिए और उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए

जाने की तिथि से तीन वर्ष तक उच्च तनाव उद्योगों द्वारा छूट का लाभ उठाया जा सकता है; और क्या प्रशुल्क छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना का अर्थान्वयन 'स्थापित' अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन द्वारा और अनिश्चितता के तत्व को शामिल करके इसके लाभ का विस्तार करने के लिए उदारतापूर्वक किया जा सकता है।

अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि तमिलनाडु राज्य का आशय लोगों के एक वर्ग को लाभ प्रदान करना था। लोगों के ऐसे वर्गों की पहचान उच्च तनाव विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं के रूप में की गई है, अतः राज्य के लिए न केवल एक अंतिम तिथि नियत करना अनुमेय था, बल्कि उसे निर्दिष्ट करना भी अनुमेय था ताकि उद्योग केवल उसी तिथि से लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकें जब वे विद्युत ऊर्जा का उपभोग करना शुरू करते हैं; कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर विचार न करके एक गंभीर त्रुटि की कि एक उच्च तनाव उद्योग उन कार्यों को करने के लिए तैयार होता है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था, वह भी केवल भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित कुछ औपचारिकताओं के पूरा होने पर ही होता है; कि कोई उद्योग केवल तभी कार्य करना प्रारंभ करता है जब वह अपनी मशीनरी को संचालित करने के लिए तैयार होता है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है। उसके लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षाओं में से एक 1910 के अधिनियम की धारा 37 और 1956 के नियमों के नियम 63 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षक द्वारा प्रमाणन और अनुमोदन है तथा 1956 के नियमों के नियम 63 का अनुपालन उद्योग की उस कार्य को निष्पादित करने की तत्परता का आकलन करने का एक निश्चित मापदंड है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था; कि सरकारी पत्र दिनांक 01.08.1997 स्पष्टीकरण प्रकृति का होने के कारण, इसे प्रभावी किया जाना चाहिए; और यह कि पश्चातवर्ती अधिसूचना दिनांक 07.01.2000 जिसके द्वारा दो स्पष्टीकरण शामिल किए गए थे, वह भी स्पष्टीकरण प्रकृति की है जैसा कि स्पष्टीकरण 1 के मात्र अवलोकन से प्रदर्शित होता है कि इसने केवल उसी बात को स्पष्ट

किया जो उक्त परंतुक में अंतर्निहित/आशायित थी, जो सरकार के उस वचन को भी प्रतिबिंबित करती है जो संबंधित उद्योगों को छूट देने और/या उसे वापस लेने या संशोधित करने के लिए अकेले सक्षम थी; और यह कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के कार्यकारी भाग को यह प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए कि 15.02.1997 से पूर्व किसी उद्योग की स्थापना का तात्पर्य यह है कि ऐसा उद्योग उन सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैयार था जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था और यह कि वह 15.02.1997 से उच्च तनाव सेवा कनेक्शन प्राप्त करके पहले ही उपभोक्ता बन चुका है और केवल वे उद्योग जिन्हें 15.02.1997 से पहले स्थापित किया गया है, उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे।

उत्तरदाता-उद्योगों ने निवेदन किया कि अधिसूचनाओं द्वारा अनुसूची में किए गए संशोधन अधिनियम के विपरीत होने के कारण अयुक्तियुक्त हैं; कि "स्थापित" शब्द की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए की गई है कि उक्त शब्द "प्रारंभ" शब्द के विपरीतार्थक रूप में है; कि कुछ उच्च तनाव उद्योगों ने जनरेटरों के कारण पहले ही अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया था और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें स्थापित नहीं किया गया था। उक्त प्रयोजन के लिए, न केवल वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, बल्कि धारा के शब्दों का अर्थ घटाकर यह समझा जाना चाहिए कि वे उद्योग प्रशुल्क छूट के हकदार हैं जिन्हें न केवल कनेक्शन प्रदान किया गया था बल्कि जिन्हें कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए था; कि अधिकांश मामलों में, उद्यमियों ने न केवल दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना के निबंधनों में राज्य द्वारा किए गए वचन के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने में अपनी स्थिति में परिवर्तन किया था। उन्होंने दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना द्वारा नियत अंतिम तिथि से बहुत पहले ही कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। राज्य द्वारा किए गए वचन

के अनुसरण में कार्य करने वाले उद्यमियों को उनकी ओर से बिना किसी दोष के पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और यह कि यद्यपि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील तरजीह नहीं दी गई है, फिर भी यह न्यायालय नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 33 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उत्तरदाताओं को उक्त तर्क उठाने की अनुमति दे सकता है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 उच्च न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्य में नहीं गया। उसने इस न्यायालय के *रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड* के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में इस आधार पर आगे कदम बढ़ाया कि "स्थापित" शब्द को उसका कोशगत अर्थ, अर्थात निर्माण या स्थापना दिया जाना चाहिए। [कंडिका 18][893-एफ,जी]

वेल्थ टैक्स कमिश्नर बनाम रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड 1967 (1) एस.सी.आर. 761 और *कबिनी मिनरल्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य* (2006) 1 एस.सी.सी 54 – संदर्भित

1.2 तमिलनाडु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर प्रशुल्क दरों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1978, 1948 के अधिनियम के उपबंधों को अभिभावी करता है। इसने राज्य सरकार को अधिनियम की अनुसूची में शामिल उपबंधों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की, जिसमें बोर्ड द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा देय प्रशुल्क दरों को निर्धारित किया गया है, जिसमें ऊर्जा की उत्पादन लागत और ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखा गया है जो अधिसूचना द्वारा विहित किए जाएं। [कंडिका 20][894-ए-सी]

2.1 अनुसूची में संशोधन करते हुए दिनांक 31.01.1995 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसने अपने सभी आशय और प्रयोजन के लिए तत्कालीन विद्यमान अनुसूची को प्रतिस्थापित कर दिया; उसका भाग क उच्च तनाव आपूर्ति के लिए प्रशुल्क से संबंधित था। केवल उसी अधिसूचना में कुछ छूट प्रदान की गई थी। वह छूट इकाई दरों और अधिकतम

मांग शुल्क दोनों पर लागू होनी थी। उक्त छूट के अनुदान के लिए कुछ सीमाएं भी विनिर्दिष्ट की गई थीं। [कंडिका 20][894-सी,डी]

2.2 अधिसूचना दिनांक 14.02.1997 द्वारा अनुसूची में आगे संशोधन किया गया, जो उन लोगों के लिए रियायती प्रशुल्क के अनुदान के संचालन को प्रतिबिंबित करता है जिन्होंने 15.02.1997 को या उसके बाद नए उच्च तनाव उद्योग स्थापित किए थे। इसलिए, हमारे प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है वह "प्रारंभ" के मुकाबले "स्थापित" शब्द का अर्थ है। [कंडिका 21][894-ई]

2.3 किसी शब्द को शून्य में कोई अर्थ नहीं सौंपा जा सकता। इसे उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। एक अलग विषय-वस्तु से संबंधित एक अलग अधिनियम पर दिया गया निर्णय किसी अन्य संविधि में उसी पद का अर्थान्वयन करते समय उपयुक्त नहीं हो सकता है। [कंडिका 22][894-एफ]

वेल्थ टैक्स कमिश्नर बनाम रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड **1967 (1) एस.सी.आर. 761 – संदर्भित**

2.4 जिस बात पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि 1978 के अधिनियम की धारा 3 के साथ संलग्न अनुसूची अधिनियम का एक भाग है। यह उच्च तनाव प्रशुल्क के लिए उपबंध करती है। यह अंतिम तिथियां नियत करती है। यह अधीनस्थ विधान का एक हिस्सा है। वैध रूप से बनाए गए एक अधीनस्थ विधान को उसी रीति से पढ़ा जाना चाहिए मानो वह अधिनियम का एक भाग हो। [कंडिका 23][895-एफ,जी]

बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (3) बनाम बॉम्बे एन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य **(2006) 3 एस.सी.सी 434;** *वासु देव सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* **(2006) 12 एस.सी.सी 753 और** *केरल राज्य और अन्य बनाम उन्नी और अन्य* **(2007) 2 एस.सी.सी 365 - अवलंबन किया गया**

2.5 दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना में उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से पहले तीन वर्षों के लिए "स्थापित किए जाने वाले" नए उच्च तनाव उद्योगों को छूट की परिकल्पना की गई थी। इसने उत्पादन शुरू होने की बात नहीं की। इसका आशय यह निश्चितता प्राप्त करना था कि किस तिथि से ऐसी छूट उपलब्ध होगी। सेवा कनेक्शन के अनुदान को छूट के अनुदान के लिए एक पूर्व-अपेक्षा माना गया था। इसी संदर्भ में आक्षेपित संशोधन का अर्थान्वयन करना होगा। यह एक अंतिम तिथि नियत करता है जिसके बाद उद्योगों को छूट उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात वे उद्योग जिन्होंने 15.02.1997 को या उसके बाद किसी भी क्षेत्र में स्थापना की थी। [कंडिका 24][896-बी,सी,डी]

2.6 हालांकि, 1978 के अधिनियम की अनुसूची से जुड़ा परंतुक उन लोगों के मामलों को सुरक्षित रखता है जिन्होंने उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाया था और वे उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक उसका लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इसलिए, जिस तिथि को सेवा कनेक्शन दिया जाता है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपीलों के लंबित रहने के दौरान राज्य द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण पर, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए था। यदि यह स्पष्टीकरण प्रकृति का है, तो इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। [कंडिका 25][896-डी,ई,एफ]

2.7 जब राज्य सरकार द्वारा कोई अधीनस्थ विधान बनाया जाता है, तो उसे संवैधानिक उपबंध के निबंधनों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों और कार्यपालिका कार्य को ध्यान में रखते हुए एक कार्यपालकीय आदेश भी जारी किया जाता है। हो सकता है कि इसमें कानून का बल न हो परंतु यह *समकालीन व्याख्या* के सुविदित सिद्धांत के दायरे में आ सकता है। कार्यपालकीय परिकल्पना के नियम भी सुसंगत हैं। [कंडिका 25][896-जी, 897-ए]

3.1 यह ऐसा मामला नहीं है जहां मुख्य सचिव और/या उस मामले के लिए राज्य की राय निर्णायक थी। संविधि के निर्वचन के मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है। [कंडिका 27][897-ई,एफ]

3.2 अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार विद्युत ऊर्जा के शुल्कों के भुगतान के संबंध में छूट दी जानी है। यह कब दी जा सकती है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। यह कब दी गई है, यह सभी को ज्ञात होगा। बिलों का भुगतान विद्युत ऊर्जा का उपभोग होने के बाद ही किया जाना आवश्यक है। जब तक सेवा कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाता, तब तक छूट का लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। उक्त प्रयोजन के लिए, 1910 के अधिनियम की धारा 2(1)(ग) में यथा-समाविष्ट उपभोक्ता की परिभाषा सुसंगत होगी। उपभोक्ता द्वारा दी गई छूट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए, छूट अधिसूचनाओं के लिए अधिसूचना/संविधि के रुख के आधार पर अर्थान्वयन आवश्यक है। क्या इसका कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए या उदार अर्थान्वयन, यह एक बात है, परंतु यह दूसरी बात है कि क्या कोई व्यक्ति अधिसूचना के सीधे पाठन पर छूट का हकदार है। [कंडिका 28][897-जी, 898-ए,बी]

3.3 यह सत्य हो सकता है कि छूट अधिसूचना का कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि उद्योग छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार है, तो इसका व्यापक अर्थान्वयन होगा। [कंडिका 28][898-सी,डी]

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य **(2005) 4 एस.सी.सी 272;** *ए.पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड बनाम केरल राज्य* **(2007) 2 एस.सी.सी 725 और** *नवोपान इंडिया लिमिटेड हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, हैदराबाद* **1994 सप्लीमेंट्री (3) एस.सी.सी 606 – संदर्भित**

3.4 छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना को जनहित में वापस लिया जा सकता है। हालांकि, जनहित क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। [कंडिका 28] [898-डी,ई]

3.5 इसलिए, "स्थापित" शब्द का अर्थान्वयन क्षेत्र में संचालित संविधि के उपबंधों, अर्थात 1910 के अधिनियम, 1948 के अधिनियम और 1956 के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक था। [कंडिका 30][899-बी]

झारखंड राज्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड (2006) 4 एस.सी.सी 57 – संदर्भित

4. किसी संविधि को असंवैधानिक घोषित करने के प्रयोजन के लिए, उसके लिए आधारभूत तथ्य रखे जाने चाहिए। उसके लिए आधार उठाए जाने आवश्यक हैं। उनके अभाव में इस न्यायालय के लिए उक्त उपबंधों की संवैधानिकता की बहस में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सही या गलत रूप से यह राय दी थी कि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह तथ्य कि उक्त सिद्धांत किसी संविधि के संबंध में भी लागू हो सकता है, किसी भी विवाद से परे है। [कंडिका 31][899-सी,डी,ई]

मेसर्स सीमा सिल्क एंड साड़ीज और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य, **2007 की आपराधिक अपील (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6812 से उद्भूत), निर्णय की तिथि 12 मई, 2008;** *महाबीर वेजीटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* **(2006) 3 एस.सी.सी 620;** *ए.पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड (उपरोक्त); पवन एलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यू.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य* **(1997) 7 एस.सी.सी 251 और** *साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर एवं ई.टी.आई.ओ. और अन्य* **(2007) 5 एस.सी.सी 447 – संदर्भित**

5. वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत की प्रयोज्यता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी जिसमें संविधि की प्रकृति और प्रयोजन, वह उद्देश्य जिसे यह प्राप्त करना चाहती है,

छूट/अनुदान देने का प्रयोजन आदि शामिल हैं। इसलिए, यह संविधि की प्रकृति और सिद्धांत की प्रयोज्यता पर भी निर्भर करता है। उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रश्न भी नहीं उठाया गया था। [कंडिका 32 और 33][901-एफ,जी]

6.1 सरकारी आदेश एम.एस. दिनांक 31.01.1995 ने स्थापित किए जाने वाले नए उच्च तनाव उद्योगों के लिए छूट प्रदान की। इसलिए, छूट के अनुदान के लिए पात्रता उन उद्योगों के लिए थी जिन्हें उक्त तिथि के बाद स्थापित किया जाना था। छूट वहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है। इसका विस्तार उन उद्योगों तक किया गया है जिन्हें 03.05.1989 के बाद स्थापित किया गया था। हालांकि, उन उद्योगों के संबंध में अपवाद निकालने का प्रयास किया गया है जो अपनी स्वयं की उत्पादन इकाइयों से बिजली का उपयोग कर रहे थे या उत्पादन प्रयोजनों के लिए अन्य व्यवस्थाएं कर रहे थे और बोर्ड द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग केवल सहायक प्रयोजनों में कर रहे थे। इसलिए, उक्त अधिसूचना एक व्यापक आधार वाली अधिसूचना है। यह न केवल उन उद्योगों पर लागू होनी है जो 31.01.1995 को या उसके बाद स्थापित किए जाने थे, बल्कि उन पर भी लागू होनी है जो 03.05.1989 के बाद स्थापित किए गए थे। [कंडिका 34][902-डी,ई,एफ]

7.1 तत्काल मामले में उत्तरदाताओं ने उक्त तिथि के बाद अपने उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना के निर्वचन की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने उद्योग स्थापित किए हैं, उन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया है, अर्थात एक बार उनके पक्ष में अधिकार अर्जित होने के बाद प्रशुल्क छूट प्राप्त करने का अधिकार। उनसे जो वादा किया गया था वह यह था कि उन्हें उपभोग शुल्कों के 60%, 70% और 80% की दर से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रशुल्क छूट प्रदान की जाएगी। [कंडिका 34][902-एफ,जी]

7.2 दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना का निर्वचन व्यापक आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल उन नए उद्योगों के लिए जो उसके बाद स्थापित किए जाने थे,

बल्कि पूर्व-विद्यमान उद्योगों के लिए भी रियायती प्रशुल्क प्रदान करने का वादा किया गया था। उनसे अर्जित अधिकार को 15.02.1997 से वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए 14.02.1997 तक पात्र थे, वे अपात्र हो गए। इसी संदर्भ में अधिसूचना के खंड (क) के साथ संलग्न परंतुक का निर्वचन किया जाना आवश्यक है। इसमें 15.02.1997 से पूर्व चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में 'स्थापित' पद का प्रयोग किया गया है। क्या उदार अर्थान्वयन का नियम लागू किया जाना चाहिए? हमारा मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अर्जित अधिकार को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अधिसूचना का कोई पूर्वप्रभावी संचालन हो। [कंडिका 35][903-बी,सी,डी]

7.3 एक संविधि, यहाँ तक कि एक अधीनस्थ विधान का भी यथोचित अर्थान्वयन किया जाना आवश्यक हो सकता है। एक अधीनस्थ विधान को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। भूतलक्षी प्रभाव केवल तभी दिया जा सकता है जब उस संबंध में कोई शक्ति विद्यमान हो। ऐसा कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है कि अधिनियम के निबंधनों के अनुसार राज्य को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। ऐसा कहते समय, हम इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हैं कि राज्य के पास प्रशुल्क नियत करने की विधिक शक्ति है। यह भी सत्य हो सकता है कि जब कोई विधिक शक्ति प्रदान की जाती है, तो राज्य के पास उसमें संशोधन करने, परिवर्तन करने, उसे संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति होगी। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इससे अवांछित कठिनाई उत्पन्न न हो। हमारा तात्पर्य यह है कि यदि संविधि का ऐसा अर्थान्वयन संभव है जिससे कठिनाई से बचा जा सके, और इसके विपरीत, एक अवांछित कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो न्यायालय पूर्ववर्ती निर्वचन को प्राथमिकता देगा। परंतुक मुख्य खंड का एक अपवाद है जबकि वे सभी उद्योग जो 15 फरवरी को या उसके बाद स्थापित किए गए थे, वे किसी भी प्रशुल्क छूट के लिए पूरी तरह से अपात्र हो जाते हैं, परंतु जो उससे पहले स्थापित किए गए थे, वे उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ

उठाना जारी रखेंगे। विधिक रूप से, जो लोग विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ता नहीं बने थे, बल्कि संभावित उपभोक्ता थे, उन्होंने न केवल इसके लिए आवेदन किया था बल्कि वे, और वास्तव में, उनमें से कुछ वाणिज्यिक उत्पादन में भी जा चुके हैं। एक बार जब उन्होंने उच्च तनाव उद्योग स्थापित कर लिए हैं और जो वाणिज्यिक उत्पादन में जा चुके हैं, उन्हें उच्च तनाव उद्योग स्थापित करने वाला माना जाना चाहिए। एक बार जब उन्होंने 31 मार्च, 1995 के बाद उच्च तनाव उद्योग स्थापित कर लिए, तो वे तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायती प्रशुल्क के लाभ के हकदार हो गए। ऐसी छूट का लाभ उनके द्वारा सेवा कनेक्शन के अनुदान की तिथि से उठाया जाना था। यदि उन्हें पहले ही सेवा कनेक्शन प्रदान किया जा चुका था, तो वे उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे। हालांकि, कठिनाई केवल उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां विद्युत कनेक्शन के अनुदान के लिए आवेदन करने के बावजूद, वास्तविक सेवा कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया था। यदि परंतुक का शाब्दिक अर्थान्वयन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप इस अर्थ में एक विसंगति उत्पन्न हो सकती है कि एक मामले में कनेक्शन एक दिन में प्रदान किया जा सकता है और दूसरे मामले में लंबे समय तक कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है। बोर्ड या राज्य के अधिकारियों की ओर से भेदभावपूर्ण कार्यों के कारण उद्यमी पीड़ित होंगे। इसी सीमित अर्थ में वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू होगा। यदि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू होता है, तो उसके निबंधनों के अनुसार अर्जित अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। [कंडिका 37][903-जी, 904-ए-एच, 905-ए]

8. यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य द्वारा किए गए किसी प्रतिनिधित्व के अनुसरण में निर्णयों में परिवर्तन किया गया था। एक विधिक उपबंध के कारण प्रशुल्क में छूट प्रदान की गई थी। ऐसी छूटों को वापस भी लिया जा सकता था। यदि अपीलकर्ताओं ने किसी वचन के अनुसरण में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया है, तो वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ताओं में किसी अधिकार के निहित होने का

प्रश्न भी लागू नहीं होगा। किसी भी स्थिति में, संविधि की तर्कसंगतता रिट याचिका का विषय-वस्तु नहीं थी। [कंडिका 42][907-ए-सी]

महाबीर वेजीटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम हरयाणा राज्य और एक अन्य **(2006) 3 एस.सी.सी 620;** *साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर एवं ई.टी.आई.ओ. और अन्य* **(2007) 5 एस.सी.सी 447;** *एम.आर.एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त (आकलन) बिक्री कर और अन्य* **(2006) 8 एस.सी.सी 702;** *टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त* **(2006) 1 एस.सी.सी 746;** *उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड* **(2007) 8 एस.सी.सी 189** और *केरल राज्य और अन्य बनाम कुरियन अब्राहम (पी) लिमिटेड और अन्य* **(2008) 3 एस.सी.सी 582 – संदर्भित**

9. एक नीतिगत निर्णय और एक संविधि के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रथम दृष्ट्या एक नीतिगत निर्णय का कोई पूर्वप्रभावी संचालन नहीं हो सकता है, एक संविधि का हो सकता है। केवल इसलिए कि यह किसी पिछले संव्यवहार को प्रभावित करता है, यह अपने आप में विधायिका के मार्ग में कोई अधिनियम बनाने या कार्यपालकीय सरकार द्वारा अधीनस्थ विधान की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में बाधक नहीं होगा। [कंडिका 44][909-बी,सी]

10. हमने पूर्व में देखा है कि कुछ उद्योगों ने जनरेटर भी स्थापित कर लिए थे। उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना पड़ा क्योंकि बोर्ड बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा। क्या यह तर्क देना बहुत अधिक नहीं होगा कि वे उद्योग भी स्थापित नहीं हुए हैं क्योंकि वे उपभोक्ता नहीं बने हैं? हमारा विचार है कि उक्त प्रयोजन के लिए, परंतुक का अर्थ घटाया जाना आवश्यक है। इसे उन पर लागू किया जाना चाहिए जिन्होंने न केवल उक्त तिथि, अर्थात 14.02.1997 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, बल्कि आवेदन भी किया था और मांगी गई राशि जमा करके बिजली कनेक्शन लेने के लिए अन्यथा तैयार

थे, जिसके लिए उनके उद्योग विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने के लिए अन्यथा तैयार थे। [कंडिका 45][909-सी,डी,ई]

11. इन मामलों की जांच बोर्ड के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जानी है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत मामलों में निर्देशित किया गया है। [कंडिका 46][910-सी]

2008 की दीवानी अपीलीय अधिकारिता: दीवानी अपील संख्या 3940

रिट अपील संख्या 1735/1999 में मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के दिनांक 19/07/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से

के साथ

2008 की दीवानी अपील संख्या 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4036, 4035, 4034, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4070, 4071, 4072, 4073, 4075, 4076, 4077, 4078, 4080, 4081, 4083 और 4084

उपस्थित पक्षकारों के लिए: ए.के. गांगुली, के. राममूर्ति, के. परासरन, एस. गणेश, इन्दु मल्होत्रा, ई. पद्मनाभन, जी. अनूप चौधरी, रामजी श्रीनिवासन, टी. हरीश कुमार, वी. वासुदेवन, के.के. सेंथिलवेलन, राकेश के. शर्मा, वी. बालाजी, नरेन्द्र कुमार, शशि एम. कपिला,

संदीप महापात्र, अभिनव अग्निहोत्री, विकास मेहता, एम.ए. कृष्ण कुमार, एम.ए. चिन्नास्वामी, टी.एस. शांति, पी. नरसिम्हन, आर.एस. पालीवाल, पुनिश अरोड़ा, प्रणब कुमार मल्लिक, के. कृष्ण कुमार, चौहान, के.के. मणि, वी.एम. शिवकुमार, आर.के. पांडेय, मयूर आर. शाह, बी. रघुनाथ, पी. वेंकटरामन, विजय कुमार, ई.आर. कुमार, रुक्मिणी बोबडे, शिवशंकर, ललित चौहान (मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), वी. बालाचंद्रन, वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद, रेवती राघवन, के.वी. विश्वनाथन, वी. मोहाना, हरि शंकर के., विकास सिंह जांगड़ा, एस. नंदा कुमार, जी. आनंद सेल्वम, सतीश कुमार, तरुण त्रिवेदी, वी.एन. रघुपति, के. स्वामी, यूसा लाचम्पा, प्रभा स्वामी, पी.एच. पारेख, नरेश कुमार, गौरव अग्रवाल, ए.टी.एम. संपत, एस. रवि शंकर, गुरु कृष्णकुमार, श्रीकला गुरुकृष्ण कुमार, सेंथिल जगदीशन।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति: 1. विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") और तमिलनाडु राज्य की प्रेरणा पर संस्थित ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 19.07.2005 के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.1999 से उत्पन्न और वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

3. मामले के मूल तथ्य विवाद में नहीं हैं।

4. तमिलनाडु राज्य ने संसद द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 (संक्षेप में "1948 का अधिनियम") के बावजूद तमिलनाडु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर प्रशुल्क दरों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1978 (संक्षेप में "1978 का अधिनियम") निर्मित किया; जिसके सुसंगत उपबंध निम्नानुसार हैं:

"**3. विद्युत ऊर्जा के उपभोग के लिए प्रशुल्क दरें-** तमिलनाडु आवश्यक वस्तु नियंत्रण और अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1949 (1949 का तमिलनाडु अधिनियम XXIX) में किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता द्वारा तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोर्ड द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा पर देय प्रशुल्क दरें इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

4. अनुसूची में संशोधन करने की राज्य सरकार की शक्ति- राज्य सरकार, ऊर्जा की उत्पादन लागत और अधिसूचना द्वारा विहित किए जाने वाले ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखने के बाद, इस अधिनियम की अनुसूची के उपबंधों में संशोधन कर सकती है।"

5. उसके अनुसरण में और उसे आगे बढ़ाने में, उच्च तनाव आपूर्ति प्रशुल्क विहित किया गया था। राज्य ने उच्च तनाव उद्योगों के लिए प्रशुल्क छूट का उपबंध करते हुए एक सरकारी आदेश एम.एस. संख्या 29 दिनांक 31.01.1995 जारी किया; जिसके सुसंगत भाग निम्नानुसार हैं:

"क) मद्रास महानगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले नए उच्च तनाव उद्योगों के मामले में, उच्च तनाव प्रशुल्क-। के अंतर्गत उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से पहले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित रियायती प्रशुल्क वसूल किए जाएंगे -

प्रथम वर्ष के लिए	उच्च तनाव दरों का 60 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष के लिए	उच्च तनाव दरों का 70 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष के लिए	उच्च तनाव दरों का 80 प्रतिशत।
चतुर्थ वर्ष के लिए	पूर्ण प्रशुल्क।

उपरोक्त छूट इकाई दरों और अधिकतम मांग शुल्कों दोनों पर लागू होगी। हालांकि, यह छूट 3 मई, 1989 से पहले स्थापित उद्योग पर लागू नहीं होगी। यह छूट उस उपभोक्ता

पर भी लागू नहीं होगी जो अपनी स्वयं की उत्पादन इकाइयों से बिजली का उपयोग करता है या उत्पादन प्रयोजनों के लिए अन्य व्यवस्थाएं करता है और बोर्ड द्वारा आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग केवल सहायक प्रयोजनों के लिए करता है।"

6. बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु आवश्यक समय सीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए 23.08.1995 को या उसके आसपास एक ज्ञापन जारी किया गया था, जब उसके लिए आवेदन दायर किए जाते हैं, जो निम्नलिखित निबंधनों में हैं:

"उपरोक्त का उल्लेख करते हुए, उच्च तनाव आवेदनों के निपटान के संबंध में निम्नलिखित आगे के निर्देश जारी किए जाते हैं।

i) सभी विद्युत वितरण सर्किलों के अधीक्षण अभियंताओं से अनुरोध है कि वे अपने प्रयास लगाएं और जहां भी संभव हो लंबित आवेदनों को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करें।

ii) उच्च तनाव आवेदनों के प्रसंस्करण में होने वाले विलंब से सभी चरणों में कड़ाई से बचा जाना चाहिए। उच्च तनाव आवेदनों के प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों को दिखाने वाला संशोधित प्रवाह चार्ट संलग्न है।

iii) आवेदनों की संवीक्षा करते समय आवेदन में देखी गई त्रुटियों से आवेदकों को पहली बार में ही अवगत कराया जाना चाहिए न कि टुकड़ों में, ताकि निपटान में तेजी लाई जा सके।

iv) यह आगे दोहराया जाना है कि वे उच्च तनाव आवेदन जिनके लिए 18 महीनों के भीतर आपूर्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक विशिष्ट तिथि के बाद नवीनीकृत करने के अनुरोध के साथ आवेदकों को तुरंत वापस कर दिया जाए।

v) यदि आवेदकों को 18 महीनों के भीतर आपूर्ति का विस्तार किया जा सकता है परंतु इसके लिए ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने, मौजूदा लाइनों में सुधार करने आदि की आवश्यकता है, तो ऐसे सुधार कार्यों के निष्पादन के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त शर्तों को निर्धारित करते हुए लोड स्वीकृति दी जा सकती है।

रिपोर्ट की गई तत्परता के आधार पर और उच्च तनाव विस्तार के प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर भी, मुख्य अभियंताओं (वितरण) को ज्ञापन संख्या एस.ई/आई.ई.एम.सी/ई.ई 3/ए.ई.ई 1/802/91 दिनांक 8.11.91 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करके उच्च तनाव आवेदकों को आपूर्ति प्रभावी की जा सकती है।

सभी अधीक्षण अभियंताओं/विद्युत वितरण सर्किलों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उच्च तनाव आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए एक युक्तिसंगत समय से अधिक विलंब न हो क्योंकि उच्च तनाव सेवाएं बोर्ड के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं और वर्ष 95-96 के लिए नियत लक्ष्य को बिना किसी असफलता के प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करें।"

7. उसके साथ संलग्न प्रवाह चार्ट में आवेदन दाखिल करने की तिथि से लेकर कनेक्शन के अनुदान की तिथि तक लिए जाने वाले अधिकतम 18 महीने के समय को विनिर्दिष्ट किया गया था।

8. दिनांक 31.01.1995 के सरकारी आदेश को 14.02.1997 को निम्नलिखित निबंधनों में संशोधित किया गया था:

"उच्च तनाव प्रशुल्क – ।

मांग और ऊर्जा शुल्क दोनों में वृद्धि हुई है।

व्यस्ततम घंटों अर्थात सुबह 6.00 बजे से सुबह 9.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात 9.00 बजे के दौरान ऊर्जा के उपभोग के लिए, ऊर्जा शुल्कों का बिल 20%

अतिरिक्त वसूला जाना है। इसे 'टाइम ऑफ डे' मीटरों की स्थापना पर कार्यान्वित किया जाएगा।

15.2.97 को या उसके बाद स्थापित नए उद्योग किसी भी प्रशुल्क छूट के पात्र नहीं हैं। हालांकि, 15.2.97 से पहले चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित उच्च तनाव उद्योगों के संबंध में सेवा रियायत की तिथि से गणना की गई 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे।"

14.02.1997 को जारी एक सरकारी आदेश द्वारा 1978 के अधिनियम से संलग्न अनुसूची को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

"(क) 15 फरवरी 1997 को या उसके बाद किसी भी क्षेत्र में स्थापित नए उच्च तनाव उद्योग प्रशुल्क छूट के पात्र नहीं होंगे:

परंतु 15 फरवरी 1997 से पहले चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में स्थापित उच्च तनाव उद्योग उस तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे जिस तिथि को उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया जाता है।

(ख) चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित किया जाने वाला नया उद्योग जो केवल रात्रिकालीन पाली में कार्य करेगा और मौजूदा उद्योग जिसमें किसी दिन के रात्रि 9.30 बजे से अगले दिन के सुबह 5.30 बजे के बीच केवल रात्रिकालीन पाली होती है, उसे केवल रात्रिकालीन पाली के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए उपयुक्त दर की 40 प्रतिशत की छूट सेवा रियायत देने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के दौरान जुलाई से जनवरी तक सात महीनों की अवधि के लिए दी जाएगी। यह छूट, यदि कोई हो तो, रियायत तय करने के बाद प्राप्त ऊर्जा दर पर लागू होगी:

परंतु उनके संबंध में जिनकी एक दिन की पाली और एक रात्रि की पाली है, रात्रिकालीन पाली की छूट 40 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह जाएगी।"

9. बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 01.08.1997 के एक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने "स्थापित" शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा:

"मुझे यह कहना है कि "स्थापित" शब्दों का अर्थ "सेवा कनेक्शन प्राप्त करना" होगा। 15 फरवरी, 1997 को या उसके बाद किसी भी क्षेत्र में 'स्थापित नए उच्च तनाव उद्योगों' का अर्थ नए उच्च तनाव उद्योग होंगे जिनके लिए वास्तव में 15.2.97 को या उसके बाद बिजली सेवा कनेक्शन का विस्तार किया गया था।"

10. उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.1997 के साथ-साथ पत्र दिनांक 01.08.1997 की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए बड़ी संख्या में रिट आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत के अंतर्गत वर्जित था। रिट याचिकाएं यह तर्क देते हुए भी दायर की गई थीं कि याचिकाकर्ताओं ने 14.02.1997 से पहले अपने उद्योग स्थापित कर लिए थे और वे उच्च तनाव प्रशुल्क - । के खंड (क) से संलग्न परंतुक के निबंधनों के अनुसार प्रशुल्क छूट के लाभ के हकदार थे। एक निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.1999 द्वारा, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदनों के उक्त समूह का निपटारा करते हुए निर्देश दिया:

क) वे रिट याचिकाएं खारिज की गईं जिन्होंने रियायतों को वापस लेने वाली दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी।

ख) वे याचिकाकर्ता जिन्होंने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपनी तत्परता के बारे में 14.02.1997 को या उससे पहले बिजली बोर्ड को सूचित किया था या बोर्ड को आवेदन किया था, वे दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना में निर्धारित बिजली कनेक्शन की तिथि से पूरे तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रशुल्क छूट का आनंद लेने के हकदार होंगे।

ग) वे रिट याचिकाकर्ता जिन्होंने 14.02.1997 को या उससे पहले बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के संबंध में बिजली बोर्ड को आवेदन नहीं किया था या सूचना नहीं भेजी थी, परंतु 14.02.1997 को या उससे पहले उद्योग स्थापित करके अपनी स्थिति में परिवर्तन किया था, वे दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना में निर्धारित प्रशुल्क छूट के हकदार होंगे "बशर्ते कि वे विपक्षी संख्या 2 - बिजली बोर्ड के समक्ष इसे स्थापित करने में सक्षम हों।"

11. बोर्ड और राज्य सरकार दोनों द्वारा इसके विरुद्ध अपीलें तरजीह दी गईं। कुछ ऐसे उद्योगों ने भी अपीलें तरजीह दीं जिन्होंने वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत की प्रयोज्यता के तर्क पर अधिसूचना को चुनौती दी थी। निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान, 1978 के अधिनियम की अनुसूची को दिनांक 07.01.2000 की अधिसूचना द्वारा आगे संशोधित किया गया था जिसके द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े गए थे:

"स्पष्टीकरण 1. - इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी उद्योग को उच्च तनाव सेवा कनेक्शन प्राप्त करने की तिथि पर स्थापित माना जा सकता है।

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजन के लिए "मौजूदा उद्योग" का अर्थ उस उद्योग से है, जिसने उस तिथि से पांच वर्ष पूरे नहीं किए हैं, जिस तिथि को उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया गया है और जो अभी भी रियायती प्रशुल्क दर के लिए पात्र है।"

12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलों के उक्त समूह का निपटारा करते हुए दिनांक 19.07.2005 के निर्णय और आदेश द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक उत्तरदाता के मामले के व्यक्तिगत तथ्य पर चर्चा करना आवश्यक नहीं था, इस आधार पर कि सरकार का सचिव उन संशोधनों को स्पष्ट नहीं कर सकता था जो राज्यपाल द्वारा अनुसूची में किए गए थे। उक्त अपीलों का निपटारा यह अभिनिर्धारित करते हुए किया गया:

i) "... वर्तमान मामले में, "स्थापित" शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। इन शब्दों का अर्थ "निर्माण या स्थापना" है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया है। यदि उच्च तनाव उद्योग का निर्माण या स्थापना 15.02.1997 से पहले की गई है, तो वह प्रशुल्क छूट के लाभ का हकदार है, भले ही उसे 15.02.1997 से पहले बिजली कनेक्शन न दिया गया हो।

ii) हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि वह तिथि जिस दिन बिजली आपूर्ति के लिए आवेदन बिजली बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह सुसंगत तिथि है। कोई आवेदन उद्योग स्थापित करने से पहले भी किया जा सकता है या उद्योग स्थापित करने के बाद भी किया जा सकता है, परंतु यह पूरी तरह से असुसंगत है। वह तिथि जब उद्योग स्थापित किया गया है, सुसंगत तिथि है।

iii) हम इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि जहां उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं, बल्कि स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं, फिर भी, वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत के आधार पर छूट का लाभ उपलब्ध होगा। वचनबंधात्मक विबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अधिसूचना की भाषा बहुत स्पष्ट है और संविधि के विरुद्ध कोई विबंध नहीं होता है।"

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दो बिंदु उत्तरदाताओं के विरुद्ध अभिनिर्धारित किए गए थे। संबंधित उद्योगों द्वारा उसके विरुद्ध कोई अपील तरजीह नहीं दी गई है।

14. मुख्य प्रश्न जो हमारे विचारार्थ उठते हैं वे निम्नानुसार हैं:

i) पहले तीन वर्षों के लिए उच्च तनाव उद्योगों के पक्ष में दी गई रियायती प्रशुल्क के संदर्भ में "जिस तिथि से उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया जाता है" के संदर्भ में "स्थापित" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

ii) क्या उच्च तनाव प्रशुल्क के खंड (क) के परंतुक में आने वाली "स्थापित" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन परंतुक में आने वाली अभिव्यक्ति "उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे" के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है?

iii) क्या "स्थापित" अभिव्यक्ति अपना रंग इस संदर्भ से भी लेती है कि निरंतर प्रशुल्क छूट का लाभ उच्च तनाव उद्योगों द्वारा "उस तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक उठाया जा सकता है जिस तिथि को उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया जाता है"?

iv) क्या उपभोक्ताओं के बीच निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए "स्थापित" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिए जो प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं और क्या वह तिथि जिस दिन उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया जाता है, ऐसी निश्चितता प्रदान करती है?

v) क्या प्रशुल्क छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना का अर्थान्वयन "स्थापित" अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन द्वारा और अनिश्चितता के तत्व को शामिल करके इसके लाभ का विस्तार करने के लिए उदारतापूर्वक किया जा सकता है?

15. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. गांगुली निवेदन करेंगे कि तमिलनाडु राज्य का आशय लोगों के एक वर्ग को लाभ प्रदान करना था। लोगों के ऐसे वर्गों की पहचान उच्च तनाव विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं के रूप में की गई है, अतः राज्य के लिए न केवल एक अंतिम तिथि नियत करना अनुमेय था, बल्कि उसे निर्दिष्ट करना भी अनुमेय था ताकि उद्योग केवल उसी तिथि से लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकें जब वे विद्युत ऊर्जा का उपभोग करना शुरू करते हैं। हालांकि, यह निवेदन किया गया था कि कुछ असाधारण मामले हो सकते हैं जहां बिजली कनेक्शन के अनुदान के लिए आवेदन दाखिल करने के बावजूद, बोर्ड की ओर से कुछ परिहार्य विलंब हुए थे।

यह तर्क दिया गया था कि प्रशुल्क दर में छूट के लाभ के अनुदान के प्रयोजन के लिए, बोर्ड को यह पता होना चाहिए कि लाभार्थी कौन थे।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर विचार न करके एक गंभीर त्रुटि की कि एक उच्च तनाव उद्योग उन कार्यों को करने के लिए तैयार होता है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था, वह भी केवल तभी होता है जब भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (संक्षेप में "1910 का अधिनियम") और उसके अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात भारतीय विद्युत नियम, 1956 (संक्षेप में "1956 के नियम") में उपबंधित कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कोई उद्योग केवल तभी कार्य करना प्रारंभ करता है जब वह अपनी मशीनरी को संचालित करने के लिए तैयार होता है, जो केवल तभी किया जा सकता है जब बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है। उसके लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षाओं में से एक 1910 के अधिनियम की धारा 37 और 1956 के नियमों के नियम 63 के निबंधनों के अनुसार निरीक्षक द्वारा प्रमाणन और अनुमोदन है।

उक्त नियम निम्नानुसार पठित है:

"63. निरीक्षक द्वारा अनुमोदन-

(1) किसी व्यक्ति को उच्च या अति-उच्च वोल्टेज पर एक वर्ष और उससे अधिक समय के लिए किसी स्थापना को विच्छेदित किए जाने के बाद आपूर्ति शुरू करने या फिर से शुरू करने की अनुमति के लिए निरीक्षक को आवेदन करने से पहले, प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्वामित्व वाली उच्च या अति-उच्च वोल्टेज बिजली आपूर्ति लाइनें या उपकरण उचित स्थान पर रखे गए हैं, ठीक से जोड़े गए हैं और विधिवत पूरे और परीक्षित हैं। प्रदाता द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि निरीक्षक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि नियम 65 से 69

तक (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और प्रदाता द्वारा निरीक्षक का लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया गया है:

परंतु प्रदाता नियम 65 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों के प्रयोजन के लिए उपरोक्त बिजली आपूर्ति लाइनों या उपकरणों को सक्रिय कर सकता है..."

श्री गांगुली ने निवेदन किया कि 1956 के नियमों के नियम 63 का अनुपालन उद्योग की उस कार्य को निष्पादित करने की तत्परता का आकलन करने का एक निश्चित मापदंड है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। सरकारी पत्र दिनांक 01.08.1997 स्पष्टीकरण प्रकृति का होने के कारण, इसे प्रभावी किया जाना चाहिए। यह आगे तर्क दिया गया था कि पश्चातवर्ती अधिसूचना दिनांक 07.01.2000 जिसके द्वारा दो स्पष्टीकरण शामिल किए गए थे, वह भी स्पष्टीकरण प्रकृति की है जैसा कि स्पष्टीकरण 1 के मात्र अवलोकन से प्रदर्शित होता है कि इसने केवल उसी बात को स्पष्ट किया जो उक्त परंतुक में अंतर्निहित/आशायित थी, जो सरकार के उस वचन को भी प्रतिबिंबित करती है जो संबंधित उद्योगों को छूट देने और/या उसे वापस लेने या संशोधित करने के लिए अकेले सक्षम थी।

यह तर्क दिया गया था कि खंडपीठ के आदेश के कार्यकारी भाग को यह प्रतिबिंबित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए कि 15.02.1997 से पूर्व किसी उद्योग की स्थापना का तात्पर्य यह है कि ऐसा उद्योग उन सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैयार था जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था और यह कि वह 15.02.1997 से उच्च तनाव सेवा कनेक्शन प्राप्त करके पहले ही उपभोक्ता बन चुका है और केवल वे उद्योग जिन्हें 15.02.1997 से पहले स्थापित किया गया है, उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे, वह भी उस तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक जिस तिथि को उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिया जाता है।

16. दूसरी ओर, कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. परासरन और श्री एस. गणेश तथा अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि अधिसूचना

द्वारा अनुसूची में किए गए संशोधन अधिनियम के विपरीत होने के कारण अयुक्तियुक्त हैं। "स्थापित" शब्द की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा *वेल्थ टैक्स कमिश्नर बनाम रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड* [1967 (1) एस.सी.आर. 761] में की गई है, जिसका अनुसरण *कबिनी मिनरल्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य* [(2006) 1 एस.सी.सी 54] में किया गया है, अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उक्त शब्द "प्रारंभ" शब्द के विपरीतार्थक रूप में है। कुछ उच्च तनाव उद्योगों ने जनरेटरों के कारण पहले ही अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया था और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें स्थापित नहीं किया गया था। उक्त प्रयोजन के लिए, न केवल वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, बल्कि धारा के शब्दों का अर्थ घटाकर यह समझा जाना चाहिए कि वे उद्योग प्रशुल्क छूट के हकदार हैं जिन्हें न केवल कनेक्शन प्रदान किया गया था बल्कि जिन्हें कनेक्शन प्रदान किया जाना चाहिए था।

यह इंगित किया गया था कि अधिकांश मामलों में, उद्यमियों ने न केवल दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना के निबंधनों में राज्य द्वारा किए गए वचन के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने में अपनी स्थिति में परिवर्तन किया था। उन्होंने दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना द्वारा नियत अंतिम तिथि से बहुत पहले ही कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। राज्य द्वारा किए गए वचन के अनुसरण में कार्य करने वाले उद्यमियों को उनकी ओर से बिना किसी दोष के पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

17. इन अधिकांश मामलों में विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारा ध्यान प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य की ओर आकर्षित किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि यह बोर्ड और/या राज्य है जो बिजली ऊर्जा प्रदान करने में विलंब के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने न केवल उद्योग स्थापित किया है और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हैं, बल्कि वास्तव में, उनमें से कुछ ने भारतीय विद्युत नियम, 1956 के उपबंधों के निबंधनों में राज्य विद्युत

बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने में कारखाने को चलाने के प्रयोजन के लिए डीजल उत्पादन सेट स्थापित किए थे जो बोर्ड द्वारा भी स्वीकार किया जाता है।

यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील तरजीह नहीं दी गई है, फिर भी यह न्यायालय नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 33 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उत्तरदाताओं को उक्त तर्क उठाने की अनुमति दे सकता है। इस संबंध में *यूको बैंक बनाम राजिंदर लाल कूपर* [(2007) 6 एस.सी.सी 694] पर भरोसा किया गया है।

18. दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्य में नहीं गया। उसने इस न्यायालय के *रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड* (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में इस आधार पर आगे कदम बढ़ाया कि "स्थापित" शब्द को उसका कोशगत अर्थ, अर्थात निर्माण या स्थापना दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण आदेश के प्रभाव पर भी यह कहते हुए विचार नहीं किया गया है कि सरकार का सचिव उस अनुसूची के संशोधन को स्पष्ट नहीं कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा किया गया है।

19. हमारी इच्छा है कि खंडपीठ ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया होता, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था।

20. 1978 के अधिनियम की वैधता प्रश्न में नहीं है। यह 1948 के अधिनियम के उपबंधों को अभिभावी करता है। इसने राज्य सरकार को अधिनियम की अनुसूची में शामिल उपबंधों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की, जिसमें बोर्ड द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा देय प्रशुल्क दरों को निर्धारित किया गया है, जिसमें ऊर्जा की उत्पादन लागत और ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखा गया है जो अधिसूचना द्वारा विहित किए जाएं। निर्विवाद रूप से, अधिनियम से संलग्न अनुसूची को समय-समय पर संशोधित किया गया है। अनुसूची में संशोधन करते हुए दिनांक 31.01.1995 को अधिसूचना

जारी की गई थी। इसने अपने सभी आशय और प्रयोजन के लिए तत्कालीन विद्यमान अनुसूची को प्रतिस्थापित कर दिया; उसका भाग क उच्च तनाव आपूर्ति के लिए प्रशुल्क से संबंधित था। केवल उसी अधिसूचना में कुछ छूट, जैसा कि पूर्व में देखा गया है, प्रदान की गई थी। वह छूट इकाई दरों और अधिकतम मांग शुल्क दोनों पर लागू होनी थी। उक्त छूट के अनुदान के लिए कुछ सीमाएं भी विनिर्दिष्ट की गई थीं।

21. अधिसूचना दिनांक 14.02.1997 द्वारा अनुसूची में संशोधन किया गया, जो उन लोगों के लिए रियायती प्रशुल्क के अनुदान के संचालन को प्रतिबिंबित करता है जिन्होंने 15.02.1997 को या उसके बाद नए उच्च तनाव उद्योग स्थापित किए थे। इसलिए, हमारे प्रयोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है वह "प्रारंभ" के मुकाबले "स्थापित" शब्द का अर्थ है।

22. किसी शब्द को शून्य में कोई अर्थ नहीं सौंपा जा सकता। इसे उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। एक अलग विषय-वस्तु से संबंधित एक अलग अधिनियम पर दिया गया निर्णय किसी अन्य संविधि में उसी पद का अर्थान्वयन करते समय उपयुक्त नहीं हो सकता है। हालांकि, हम शुरुआत में ही इस न्यायालय के *रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड* (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को देख सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने वेल्थ टैक्स एक्ट की धारा 5(1)(xxi) के निर्वचन के संदर्भ में अभिनिर्धारित किया था:

> "... किसी इकाई को तब तक स्थापित नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह उस कार्य को निष्पादित करने के लिए तैयार न हो जिसके लिए उसे स्थापित किया जा रहा है। केवल तभी जब इकाई को ऐसा आकार दे दिया गया हो कि वह एक व्यवसाय या विनिर्माण संगठन के रूप में कार्य करना शुरू कर सके, तब यह कहा जा सकता है कि इकाई स्थापित हो गई है..."

यह निर्णय भारत में एक औद्योगिक उपक्रम चलाने के उद्देश्य से स्थापित कंपनी की शुद्ध संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में छूट के उपबंध के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जैसा कि

अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद नई और अलग इकाई स्थापित करने में उसके द्वारा नियोजित किया जाता है। यद्यपि अलग-अलग पदों "स्थापना" और "प्रारंभ" का प्रयोग किया गया था, इस न्यायालय ने राय दी कि "स्थापित" शब्द "संस्थापित" शब्द के समतुल्य है और यह कि एक व्यवसाय तब संस्थापित होता है जब वह "व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार होता है"। यह आगे राय दी गई थी कि कोई संस्थापन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार होने के लिए स्थापित नहीं हो सकता यदि वह "स्थापित" नहीं है।

उक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा *कबिनी मिनरल्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त)* में यह कहते हुए दोहराया गया था:

> **"9.** 'स्थापना' अभिव्यक्ति का अर्थ है, जैसा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है, 'पैरों पर खड़ा करना' या 'संस्थापित करना', और यह 'प्रारंभ करना' के विपरीतार्थक रूप में है। अंतर यह है कि जब कोई व्यवसाय संस्थापित हो जाता है और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार होता है, केवल तभी उस व्यवसाय के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह स्थापित है। परंतु इससे पहले कि वह व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार हो, वह स्थापित नहीं है। (देखें *सी.डब्ल्यू.टी बनाम रामराजू सर्जिकल कॉटन मिल्स लिमिटेड)*
>
> **10.** उक्त मामले में, यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था कि "स्थापित" शब्द "संस्थापित" शब्द के समतुल्य है परंतु संस्थापन के लिए संचालन को इकाई के स्वयं के संस्थापन या उसकी स्थापना के समतुल्य नहीं माना जा सकता है।"

23. जिस बात पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि 1978 के अधिनियम की धारा 3 के साथ संलग्न अनुसूची अधिनियम का एक भाग है। यह उच्च तनाव प्रशुल्क के लिए उपबंध करती है। यह अंतिम तिथियां नियत करती है। यह अधीनस्थ विधान का एक हिस्सा है। वैध रूप से बनाए गए एक अधीनस्थ विधान को उसी रीति से पढ़ा जाना चाहिए मानो वह अधिनियम का एक भाग हो। उक्त प्रयोजन के लिए, यद्यपि यह कानून के

सुस्थापित सिद्धांतों पर संवैधानिक चुनौती के अधीन होगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (3) बनाम बॉम्बे एन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य* [(2006) 3 एस.सी.सी 434], *वासु देव सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* [(2006) 12 एस.सी.सी 753] और *केरल राज्य और अन्य बनाम उन्नी और अन्य* [(2007) 2 एस.सी.सी 365] में देखा गया है, फिर भी इसकी वैधता चुनौती के अधीन नहीं है।

24. दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना में उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से पहले तीन वर्षों के लिए "स्थापित किए जाने वाले" नए उच्च तनाव उद्योगों को छूट की परिकल्पना की गई थी। इसने उत्पादन शुरू होने की बात नहीं की। इसका आशय यह निश्चितता प्राप्त करना था कि किस तिथि से ऐसी छूट उपलब्ध होगी। सेवा कनेक्शन के अनुदान को छूट के अनुदान के लिए एक पूर्व-अपेक्षा माना गया था। इसी संदर्भ में आक्षेपित संशोधन का अर्थान्वयन करना होगा। यह एक अंतिम तिथि नियत करता है जिसके बाद उद्योगों को छूट उपलब्ध नहीं होगी, अर्थात वे उद्योग जिन्होंने 15.02.1997 को या उसके बाद किसी भी क्षेत्र में स्थापना की थी।

25. हालांकि, इसके साथ संलग्न परंतुक उन लोगों के मामलों को सुरक्षित रखता है जिन्होंने उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाया था और वे उपभोक्ता को सेवा कनेक्शन दिए जाने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक उसका लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इसलिए, जिस तिथि को सेवा कनेक्शन दिया जाता है, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अपीलों के लंबित रहने के दौरान राज्य द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण पर, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए था। यदि यह स्पष्टीकरण प्रकृति का है, तो इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए था और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पत्र दिनांक

01.08.1997 जारी किया गया था क्योंकि कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया था। जब राज्य सरकार द्वारा कोई अधीनस्थ विधान बनाया जाता है, तो उसे संवैधानिक उपबंध के निबंधनों के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमों और कार्यपालिका कार्य को ध्यान में रखते हुए एक कार्यपालकीय आदेश भी जारी किया जाता है। हो सकता है कि इसमें कानून का बल न हो परंतु यह *समकालीन व्याख्या* के सुविदित सिद्धांत के दायरे में आ सकता है। कार्यपालकीय परिकल्पना के नियम भी सुसंगत हैं।

26. सरकार ने संपूर्ण अभिलेख विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा। अपने निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने लेखबद्ध किया:

> "14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकार की नोट फ़ाइल प्रस्तुत की है। फ़ाइल से, मैं यह देखने में सक्षम हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वयं 'स्थापित' अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन करते समय यह कहा है कि '1994 के दौरान स्थापित उद्योगों के संबंध में प्रशुल्क छूट को वापस लेने के लिए भार स्वीकृति की तिथि को ध्यान में रखा गया था'। अध्यक्ष ने इस आशय की सिफारिश भी की है कि प्रशुल्क छूट जो 14.02.1997 से पहले प्रचलित थी, उन उपभोक्ताओं तक विस्तारित की जा सकती है जिन्होंने 14.02.1997 को या उससे पहले तत्परता की सूचना दी थी और तत्परता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उद्योग के निरीक्षण पर सभी फील्ड अधीक्षण अभियंताओं द्वारा प्रमाणित किया गया था, और 15.02.1997 के बाद, इस कारण से कि इसे 14.02.1997 से पहले सूचित नहीं किया गया था।"

27. ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राज्य के मुख्य सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनाए गए कार्यपालिका कार्य के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत पत्र जारी किया था। हालांकि, हम उससे अधिक चिंतित नहीं हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां मुख्य सचिव और/या उस मामले के लिए राज्य की राय निर्णायक थी। संविधि के निर्वचन के मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है।

इसलिए, हमें अपने समक्ष उठाए गए मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा।

28. इसके अतिरिक्त, विद्युत ऊर्जा के शुल्कों के भुगतान के संबंध में छूट दी जानी है। यह कब दी जा सकती है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। यह कब दी गई है, यह सभी को ज्ञात होगा। बिलों का भुगतान विद्युत ऊर्जा का उपभोग होने के बाद ही किया जाना आवश्यक है। जब तक सेवा कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाता, तब तक छूट का लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। उक्त प्रयोजन के लिए, 1910 के अधिनियम की धारा 2(1)(ग) में यथा-समाविष्ट उपभोक्ता की परिभाषा सुसंगत होगी। उपभोक्ता द्वारा दी गई छूट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए, छूट अधिसूचनाओं के लिए अधिसूचना/संविधि के रुख के आधार पर अर्थान्वयन आवश्यक है। क्या इसका कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए या उदार अर्थान्वयन, यह एक बात है, परंतु यह दूसरी बात है कि क्या कोई व्यक्ति अधिसूचना के सीधे पाठन पर छूट का हकदार है।

यह सत्य हो सकता है कि छूट अधिसूचना का कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *नवोपान इंडिया लिमिटेड हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, हैदराबाद* [1994 सप्लीमेंट्री (3) एस.सी.सी 606] में अभिनिर्धारित किया गया है, परंतु यह भी सत्य है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि उद्योग छूट अधिसूचना के लाभ का हकदार है, तो इसका व्यापक अर्थान्वयन होगा। [देखें *टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य* (2005) 4 एस.सी.सी 272 और *ए.पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड बनाम केरल राज्य* (2007) 2 एस.सी.सी 725]।

छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना को जनहित में वापस लिया जा सकता है। हालांकि, जनहित क्या होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

29. *झारखंड राज्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड* [(2006) 4 एस.सी.सी 57] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"**6.** अधिसूचनाओं के साथ पठित उपरोक्त नीति का विश्लेषण करने से पहले, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि "कर" शब्द का क्या अर्थ है। कर सामान्य राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाने वाला भुगतान है। यह एक भार है। यह भुगतान करने की क्षमता या सामर्थ्य के सिद्धांत पर आधारित है। यह राज्य की कराधान शक्ति की अभिव्यक्ति है। किसी अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट कर दायित्व से छूट है। इसलिए, ऐसी प्रत्येक छूट अधिसूचना को कड़ाई से पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि, जब किसी निर्धारिती से औद्योगिक नीति के एक पद के रूप में पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए कर छूट का वादा किया जाता है, तो हमें कार्यान्वयन अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति के संदर्भ में पढ़ना होगा। ऐसे मामले में, छूट अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति द्वारा परिकल्पित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए न कि कर संविधि के अधीन कर दायित्व से छूट के मामले में कठोर अर्थ में।

30. "इसलिए, "स्थापित" शब्द का भी अर्थान्वयन क्षेत्र में संचालित संविधि के उपबंधों, अर्थात 1910 के अधिनियम, 1948 के अधिनियम और 1956 के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक था।

31. अधिसूचनाओं की यौक्तिकता के आधार पर उनकी वैधता उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई है। इसलिए, हम इस मुद्दे में नहीं जा सकते। यदि ऐसा है, तो श्री परासरन से सहमत होना कठिन है कि हमें अधिसूचनाओं का इस रीति से निर्वचन करने का कार्य करना चाहिए जो अयुक्तियुक्तता की ओर न ले जाए। किसी संविधि को असंवैधानिक घोषित करने के प्रयोजन के लिए, उसके लिए आधारभूत तथ्य रखे जाने चाहिए। [देखें *मेसर्स सीमा सिल्क एंड साड़ीज और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय और एक अन्य*, 2007 की आपराधिक अपील (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6812 से उद्भूत), निर्णय की तिथि 12 मई, 2008]। उसके लिए आधार उठाए जाने आवश्यक हैं। उनके अभाव में हमारे

लिए उक्त उपबंधों की संवैधानिकता की बहस में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सही या गलत रूप से यह राय दी थी कि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह तथ्य कि उक्त सिद्धांत किसी संविधि के संबंध में भी लागू हो सकता है, किसी भी विवाद से परे है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *महाबीर वेजीटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* [(2006) 3 एस.सी.सी 620], *ए.पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड (उपरोक्त), पवन एलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यू.पी. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य* [(1997) 7 एस.सी.सी 251] और *साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर एवं ई.टी.आई.ओ. और अन्य* [(2007) 5 एस.सी.सी 447] में अभिनिर्धारित किया गया है।

32. *श्री परासरन ने शाह बनाम शाह* [2002 क्यू.बी. 35 : (2001) 4 सभी ई.आर 138] पर यह तर्क देने के लिए गहरा भरोसा किया है कि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत संविधि के क्षेत्र में भी लागू होता है। उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:"गॉडन मामले [1997] एन.पी.सी 1 में 1989 के अधिनियम की धारा 2(1) के उपबंध को विबंध द्वारा विफल करने का प्रयास किया गया था कि 'भूमि में किसी हित की बिक्री या अन्य निपटान के लिए अनुबंध केवल लिखित रूप में किया जा सकता है और केवल उन सभी निबंधनों को शामिल करके किया जा सकता है जिन पर पक्षकार एक दस्तावेज़ में या जहां अनुबंधों का आदान-प्रदान किया जा रहा है, प्रत्येक में स्पष्ट रूप से सहमत हुए हैं'। साइमन ब्राउन एलजे ने कहा कि यह तर्क कि 'यद्यपि संसद ने यह निर्देश दिया है कि धारा 2 के अनुपालन के बिना किया गया भूमि के निपटान से संबंधित अनुबंध शून्य है, प्रतिवादियों को ऐसा कहने की अनुमति नहीं है' एक 'असंभव तर्क' था। साइमन ब्राउन एलजे ने *हेल्सबरी के कानूनों* में उल्लिखित सिद्धांत को एक 'प्रधान नियम' माना, जिसकी 'पूर्ण प्रकृति' को 'वर्तमान मामले में तैनात किए जाने के लिए मांगे गए साम्यापूर्ण तकनीकों या विबंधों के प्रकारों में से किसी

एक द्वारा दरकिनार' नहीं किया जा सकता है। थोरपे एलजे और सर जॉन बालकोम्बे साइमन ब्राउन एलजे से सहमत थे।

याक्सले बनाम गॉट्स [2000] सी.एच 162 भी 1989 के अधिनियम की धारा 2 से संबंधित था। भूमि में हित प्रदान करने के लिए तात्पर्यित एक मौखिक समझौता, यद्यपि धारा 2 के अधीन शून्य और अप्रवर्तनीय था, फिर भी धारा 2(5) के अधीन एक रचनात्मक न्यास के आधार पर प्रवर्तनीय अभिनिर्धारित किया गया था जो यह उपबंध करता है कि 'इस धारा की कोई भी बात परिणामी, निहित या रचनात्मक न्यासों के निर्माण या संचालन को प्रभावित नहीं करती है'। रॉबर्ट वाकर एल.जे ने पृष्ठ 175 पर कहा: 'संसद की यह आवश्यकता कि भूमि के निपटान के लिए किसी भी अनुबंध को एक विशेष दस्तावेजी रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा वह शून्य होगा, इसका ऐसा स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य नहीं है जैसा कि साहूकारों, शिशुओं या संरक्षित किरायेदारों के अनुबंधों से संबंधित विधिक उपबंधों का होता है। फिर भी इसे सामान्य जनहित में संसद के इस निष्कर्ष को मूर्त रूप देने के रूप में देखा जा सकता है कि इस प्रकार के अनुबंधों के निर्माण के संबंध में निश्चितता की आवश्यकता सामान्यतः उन लोगों की निराशा से अधिक होनी चाहिए जो विधिक आवश्यकता की अज्ञानता में अनौपचारिक सौदे करते हैं। यदि किसी विबंध का प्रभाव एक शून्य अनुबंध को प्रवर्तित करने और संसद के उद्देश्य को विफल करने का होगा, तो उसे अपने सामने आने वाले विधिक कानून के सामने झुकना पड़ सकता है, सिवाय इसके कि संविधि का रचनात्मक न्यास के लिए बचाव स्पष्ट संघर्ष के समाधान का साधन प्रदान करता है।' क्लार्क एल.जे ने पृष्ठ 182 पर कहा कि जहां किसी विशेष विबंध पर भरोसा किया जाता है जो किसी संविधि के पीछे की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करता है, वहां उस खराबी पर विचार करना आवश्यक है जिसकी ओर संविधि निर्देशित है। जहां लॉ कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कोई संविधि अधिनियमित की गई थी, वहां उन सिफारिशों पर विचार करना उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि उनके विचार में: 'उस रिपोर्ट की सामग्री [भूमि का हस्तांतरण:

भूमि की बिक्री आदि के अनुबंधों के लिए औपचारिकताएं (1987) (लॉ कॉम संख्या 164)] यह तय करने में सबसे बड़ी सहायक होगी कि विबंध के विशेष प्रकारों के सिद्धांतों को अधिनियम के अंतर्निहित सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाना चाहिए या नहीं। इस संबंध में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर होने की संभावना है।' बेल्डम एलजे ने पृष्ठ 191 पर कहा कि 'यह सामान्य सिद्धांत कि कोई पक्षकार संविधि के सामने विबंध पर भरोसा नहीं कर सकता, अधिनियम की प्रकृति, उपबंध के प्रयोजन और उसके पीछे की सामाजिक नीति पर निर्भर करता है'।"

उक्त निर्णय का संदर्भ *एक्शनस्ट्रेंथ लिमिटेड (ट्रेडिंग एज़ वाइटल रिसोर्सेज) बनाम इंटरनेशनल ग्लास इंजीनियरिंग आईएन.जी.ईएन एसपीए और एक अन्य* [2003 (2) सभी. ई.आर. 615 पर 619] में भी दिया गया है, परंतु उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत संविधि के मामले में लागू नहीं हो सकता है। जैसा कि इसके बाद की चर्चाओं से प्रकट होगा, उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी जिसमें संविधि की प्रकृति और प्रयोजन, वह उद्देश्य जिसे यह प्राप्त करना चाहती है, छूट/अनुदान देने का प्रयोजन आदि शामिल हैं।

33. इसलिए, यह संविधि की प्रकृति और सिद्धांत की प्रयोज्यता पर निर्भर करता है। जैसा कि पूर्व में देखा गया है, ऐसा प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था।

34. सरकारी आदेश एम.एस. दिनांक 31.01.1995 ने स्थापित किए जाने वाले नए उच्च तनाव उद्योगों के लिए छूट प्रदान की। इसलिए, छूट के अनुदान के लिए पात्रता उन उद्योगों के लिए थी जिन्हें उक्त तिथि के बाद स्थापित किया जाना था। छूट वहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है। इसका विस्तार उन उद्योगों तक किया गया है जिन्हें 03.05.1989 के बाद स्थापित किया गया था। हालांकि, उन उद्योगों के संबंध में अपवाद निकालने का प्रयास किया गया है जो अपनी स्वयं की उत्पादन इकाइयों से बिजली का उपयोग कर रहे थे या उत्पादन प्रयोजनों के लिए अन्य व्यवस्थाएं कर रहे थे और बोर्ड द्वारा

आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग केवल सहायक प्रयोजनों में कर रहे थे। इसलिए, उक्त अधिसूचना एक व्यापक आधार वाली अधिसूचना है। यह न केवल उन उद्योगों पर लागू होनी है जो 31.01.1995 को या उसके बाद स्थापित किए जाने थे, बल्कि उन पर भी लागू होनी है जो 03.05.1989 के बाद स्थापित किए गए थे।

हम यह देख सकते हैं कि रियायती प्रशुल्क, हालांकि, केवल तीन वर्षों के लिए दिए जाने थे। रियायती प्रशुल्क के वे तीन वर्ष, इसलिए, किसी भी ऐसे उद्योग के लिए उपलब्ध थे जो 03.05.1989 के बाद स्थापित किया गया था जब तक कि छूट वापस नहीं ले ली जाती। अन्य अधिसूचनाओं के विपरीत, कोई अवधि नियत नहीं है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में उन अधिसूचनाओं के प्रभाव पर विचार किया है जो एक निश्चित अवधि, जैसे कि तीन वर्ष या पांच वर्ष के लिए लागू थीं। छूट, यद्यपि इकाई के साथ-साथ अधिकतम मांग शुल्क के संबंध में भी तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होनी थी, परंतु इसे उन सभी उद्योगों पर लागू किया जाना था जो मद्रास महानगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करने का इरादा रखते थे।

निर्विवाद रूप से, हमारे समक्ष उत्तरदाताओं ने उक्त तिथि के बाद अपने उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना के निर्वचन की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने उद्योग स्थापित किए हैं, उन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया है, अर्थात एक बार उनके पक्ष में अधिकार अर्जित होने के बाद प्रशुल्क छूट प्राप्त करने का अधिकार। उनसे जो वादा किया गया था वह यह था कि उन्हें उपभोग शुल्कों के 60%, 70% और 80% की दर से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रशुल्क छूट प्रदान की जाएगी।

35. क्या उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.1997 के कारण कोई अर्जित या निहित अधिकार वापस ले लिया गया है या नहीं, यह प्रश्न है। इसलिए, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उक्त अधिसूचना दिनांक 31.01.1995 के कारण, उन उद्यमियों ने जिन्होंने उक्त तिथि के बाद नए

उच्च तनाव उद्योग स्थापित किए थे, उसके अनुसरण में कोई अधिकार प्राप्त किया है।

दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना का निर्वचन व्यापक आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल उन नए उद्योगों के लिए जो उसके बाद स्थापित किए जाने थे, बल्कि पूर्व-विद्यमान उद्योगों के लिए भी रियायती प्रशुल्क प्रदान करने का वादा किया गया था। उनसे अर्जित अधिकार को 15.02.1997 से वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग दिनांक 31.01.1995 की अधिसूचना का लाभ उठाने के लिए 14.02.1997 तक पात्र थे, वे अपात्र हो गए। इसी संदर्भ में खंड (क) के साथ संलग्न परंतुक का निर्वचन किया जाना आवश्यक है। इसमें 15.02.1997 से पूर्व चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में 'स्थापित' पद का प्रयोग किया गया है। क्या उदार अर्थान्वयन का नियम लागू किया जाना चाहिए? हमारा मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अर्जित अधिकार को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अधिसूचना का कोई पूर्वप्रभावी संचालन हो। कोई व्यक्ति बिजली कनेक्शन के अनुदान के लिए किसी विशेष तिथि पर आवेदन कर सकता है। उसे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिल सकता है। राज्य विद्युत बोर्ड के अनुसार, तीनों पक्षों, अर्थात उपभोक्ता, बोर्ड और राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आपूर्ति के अनुदान के लिए 18 महीने की बाहरी सीमा ली जाती है।

36. हमारे समक्ष ऐसे मामले हैं जहां से यह प्रकट होता है कि विद्युत निरीक्षक, जो राज्य का एक अधिकारी है और/या बोर्ड के प्राधिकारियों की ओर से त्रुटि के कारण बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए थे, यद्यपि उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा करने और/या निर्देशों का अनुपालन करने के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई थी।

37. एक संविधि, यहाँ तक कि एक अधीनस्थ विधान का भी यथोचित अर्थान्वयन किया जाना आवश्यक हो सकता है। एक अधीनस्थ विधान को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। भूतलक्षी प्रभाव केवल तभी दिया जा सकता है जब उस संबंध में कोई

शक्ति विद्यमान हो। ऐसा कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है कि अधिनियम के निबंधनों के अनुसार राज्य को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। ऐसा कहते समय, हम इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हैं कि राज्य के पास प्रशुल्क नियत करने की विधिक शक्ति है। यह भी सत्य हो सकता है कि जब कोई विधिक शक्ति प्रदान की जाती है, तो राज्य के पास उसमें संशोधन करने, परिवर्तन करने, उसे संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति होगी। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इससे अवांछित कठिनाई उत्पन्न न हो। हमारा तात्पर्य यह है कि यदि संविधि का ऐसा अर्थान्वयन संभव है जिससे कठिनाई से बचा जा सके, और इसके विपरीत, एक अवांछित कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो न्यायालय पूर्ववर्ती निर्वचन को प्राथमिकता देगा। परंतुक मुख्य खंड का एक अपवाद है जबकि वे सभी उद्योग जो 15 फरवरी को या उसके बाद स्थापित किए गए थे, वे किसी भी प्रशुल्क छूट के लिए पूरी तरह से अपात्र हो जाते हैं, परंतु जो उससे पहले स्थापित किए गए थे, वे उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे। विधिक रूप से, जो लोग विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ता नहीं बने थे, बल्कि संभावित उपभोक्ता थे, उन्होंने न केवल इसके लिए आवेदन किया था बल्कि वे, और वास्तव में, उनमें से कुछ वाणिज्यिक उत्पादन में भी जा चुके हैं। एक बार जब उन्होंने उच्च तनाव उद्योग स्थापित कर लिए हैं और जो वाणिज्यिक उत्पादन में जा चुके हैं, उन्हें उच्च तनाव उद्योग स्थापित करने वाला माना जाना चाहिए। एक बार जब उन्होंने 31 मार्च, 1995 के बाद उच्च तनाव उद्योग स्थापित कर लिए, तो वे तीन वर्ष की अवधि के लिए रियायती प्रशुल्क के लाभ के हकदार हो गए। ऐसी छूट का लाभ उनके द्वारा सेवा कनेक्शन के अनुदान की तिथि से उठाया जाना था। यदि उन्हें पहले ही सेवा कनेक्शन प्रदान किया जा चुका था, तो वे उक्त प्रशुल्क छूट का लाभ उठाना जारी रखेंगे। हालांकि, कठिनाई केवल उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां विद्युत कनेक्शन के अनुदान के लिए आवेदन करने के बावजूद, वास्तविक सेवा कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया था। यदि परंतुक का शाब्दिक अर्थान्वयन किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप इस अर्थ में एक विसंगति उत्पन्न हो सकती है कि एक मामले में

कनेक्शन एक दिन में प्रदान किया जा सकता है और दूसरे मामले में लंबे समय तक कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है। बोर्ड या राज्य के अधिकारियों की ओर से भेदभावपूर्ण कार्यों के कारण उद्यमी पीड़ित होंगे। इसी सीमित अर्थ में वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू होगा। यदि वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू होता है, तो उसके निबंधनों के अनुसार अर्जित अधिकार को भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है। [देखें *महाबीर वेजीटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त), साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड* (उपरोक्त)]

38. *एम.आर.एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त (आकलन) बिक्री कर और अन्य* [(2006) 8 एस.सी.सी 702] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "किसी भी स्थिति में, केरल राज्य द्वारा तरजीह दी गई अपील खारिज कर दी गई थी और इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 10(3) भूतलक्षी प्रभाव से छूट वापस लेने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। इसका प्रभाव यह है कि संशोधन अधिसूचना एस.आर.ओ संख्या 38/98 को इस रीति से पढ़ा जाना चाहिए जिससे किसी भी निर्माता के 7 वर्षों की अवधि के लिए छूट के पूर्व-विद्यमान अर्जित अधिकार को वापस न लिया जाए या बाधित न किया जाए। यदि SRO संख्या 38/98 का अर्थान्वयन उत्तरदाता द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार किया जाता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि एस.आर.ओ संख्या 38/98 स्वयं अधिनियम की धारा 10(3) के अधिकारों से परे हो जाएगी, और इसलिए, अवैध, कानून में त्रुटिपूर्ण और शून्य हो जाएगी।"

39. फिर से, *टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त* [(2006) 1 एस.सी.सी 746] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "**10.** हमारा यह मत है कि न्यायाधिकरण की बॉम्बे पीठ के साथ-साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तर्क की पुष्टि की जानी चाहिए और दिल्ली न्यायाधिकरण के

निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए जहां तक यह छूट अधिसूचना के लाभ के लिए एल.एस.पी 340 की पात्रता से संबंधित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि बोर्ड ने आक्षेपित परिपत्र में सामान्य भाषा के उस मुद्दे को पहले ही निर्धारित कर दिया था जो साक्ष्य का विषय था और जिसे विभाग पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष स्थापित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। बॉम्बे पीठ भी अपने इस निष्कर्ष में सही थी कि परिपत्र ने छूट अधिसूचना पर एक सीमा लगाने का प्रयास किया था जो छूट अधिसूचना स्वयं उपबंधित नहीं करती थी। बोर्ड के लिए छूट अधिसूचना को इस रीति से कम करना खुला नहीं था। छूट अधिसूचना ने केवल प्रविष्टि 8525 20 17 की भाषा को पुनरुत्पादित किया था और चूंकि छूट अधिसूचना ने केवल प्रशुल्क प्रविष्टि को पुनरुत्पादित किया था, इसलिए बोर्ड द्वारा लगाने का प्रयास की गई सीमा वर्गीकरण में ही सीमा को पढ़ने के समतुल्य होगी।"

40. *उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड* [(2007) 8 एस.सी.सी 189] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"20. स्पष्ट विधिक उपबंध के साथ-साथ दिनांक 23.09.1992 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम के साथ-साथ उसके अधीन जारी अधिसूचना के अधीन बिक्री कर के आस्थगन के संबंध में छूट उपबंधित की गई है, इसलिए उच्च न्यायालय, हमारे मत में, अपना दृष्टिकोण अपनाने में सही है।"

41. *केरल राज्य और अन्य बनाम कुरियन अब्राहम (पी) लिमिटेड और एक अन्य* [(2008) 3 एस.सी.सी 582] में यह राय दी गई थी:

"23. कर प्रशासन एक जटिल विषय है। इसमें कई पहलू शामिल हैं। सरकार को एक ओर राजस्व के संग्रह और दूसरी ओर व्यवसाय-अनुकूल दृष्टिकोण के बीच कर लगाने

में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आज, सरकारों ने महसूस किया है कि कर संग्रह के मामलों में व्यवसाय द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखना होगा। छूट, निःसंदेह, नीति का विषय है। किसी प्रविष्टि का निर्वचन कर कानूनों के अधीन निश्चित रूप से एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। करों को लगाने में दायित्व, दायित्व का मात्रात्मक निर्धारण और करों का संग्रह शामिल है। नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा लिए जाने होते हैं। हालांकि, सरकार को उन कठिनाइयों के मामले में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कार्य करना होता है जिनका सामना व्यवसाय को करना पड़ सकता है, विशेष रूप से कर प्रशासन के मामलों में। यहीं पर राजस्व बोर्ड की भूमिका सामने आती है। उक्त बोर्ड प्रशासनिक निर्णय लेता है, जिसमें प्रशासनिक अनुतोष प्रदान करने का प्राधिकार शामिल है। अपने अधीन अधिकारियों को आदेश, निर्देश और निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाने का यही अंतर्निहित कारण है।"

42. यह ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य द्वारा किए गए किसी प्रतिनिधित्व के अनुसरण में निर्णयों में परिवर्तन किया गया था। एक विधिक उपबंध के कारण प्रशुल्क में छूट प्रदान की गई थी। ऐसी छूटों को वापस भी लिया जा सकता था। यदि अपीलकर्ताओं ने किसी वचन के अनुसरण में अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया है, तो वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ताओं में किसी अधिकार के निहित होने का प्रश्न भी लागू नहीं होगा। किसी भी स्थिति में, संविधि की यौक्तिकता रिट याचिका का विषय-वस्तु नहीं थी। उपबंधों को अधिकारों से परे घोषित करने की मांग नहीं की गई है। अन्यथा भी, राज्य ने संविधि में संशोधन करते समय यह कहा कि जनहित में इसकी आवश्यकता थी। जब जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी संविधि में संशोधन किया जाता है, तो छूट को भूतलक्षी प्रभाव से भी वापस लिया जा सकता है।

43. *कासिंका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य* [(1995) 1 एस.सी.सी 274] में, जनहित में अपनी नीतिगत निर्णय को बदलने की राज्य की शक्ति पर बल दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस शक्ति का उपयोग छूट देने के लिए किया जा सकता है, अर्थात सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(1) स्वयं पूर्व अधिसूचना को रद्द करने का स्रोत है, यह कहते हुए:

"चूंकि, अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई थी, इसलिए उक्त अधिसूचना को रद्द करने या संशोधित करने के लिए प्राधिकारी के पास वही शक्ति उपलब्ध थी और अपीलकर्त्ता को यह पता होना चाहिए था कि उक्त अधिसूचना 31.03.1981 की समाप्ति से पहले भी किसी भी समय वापस ली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है या रद्द की जा सकती है यदि 'जनहित' में ऐसा आवश्यक हो। यह अभिनिर्धारित करना कि सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 66 वर्ष 1979 जारी करने के बाद, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि यह 31.03.1981 तक प्रभावी रहेगी, इसे उस तिथि की समाप्ति से पहले रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता था, सरकार को अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन अपने विधिक दायित्व का निर्वहन करने से रोकने के समतुल्य होगा, यदि वह संतुष्ट थी कि पूर्व अधिसूचना को वापस लेना, संशोधित करना या रद्द करना 'जनहित' में था। धारा 25 की स्पष्ट भाषा इस स्थिति की सूचक है कि यह जनहित है और जनहित ही एकमात्र प्रमुख कारक है। अपीलकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि आक्षेपित अधिसूचना द्वारा अधिसूचना संख्या 66 वर्ष 1979 को वापस लेना 'जनहित' में नहीं था। हालांकि, उनका मामला यह है कि पूर्व अधिसूचनाओं पर भरोसा करते हुए उन्होंने कार्य किया था और सरकार को अपने वादे से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा उन्हें भारी हानि होगी। न्यायालयों को पक्षकारों के बीच साम्या का संतुलन बनाना होगा और वास्तव

में न्यायालय 'स्पष्ट अन्याय या धोखाधड़ी को रोकने के लिए' सरकार को उसके वादे से बाध्य करेंगे।"

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था:"

23. अपीलकर्त्ता इस धारणा के अधीन प्रतीत होते हैं कि परिवर्तित बाजार स्थितियों में भी यदि छूट को जारी रखना उचित नहीं था, फिर भी, सरकार उन्हें अतिरिक्त लाभ देने के लिए इसे जारी रखने के लिए बाध्य थी। निश्चित रूप से वह उद्देश्य नहीं था जिसके साथ अधिसूचना जारी की गई थी। 'जनहित में' छूट को वापस लेना नीति का मामला है और न्यायालय सरकार को हर समय अपने नीतिगत निर्णयों से बाध्य नहीं करेंगे, चाहे सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि नीति में बदलाव 'जनहित' में आवश्यक था। न्यायालय राजकोषीय नीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जहां सरकार 'जनहित' में कार्य करती है और न ही किसी धोखाधड़ी या सद्भावना के अभाव का आरोप लगाया जाता है, और न ही इसे स्थापित किया जाता है। सरकार को वित्त के उपयोग के मामले में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 25(1) के अधीन छूट अधिसूचना जारी करने या संशोधित करने या वापस लेने के दौरान जनहित में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए।"

कासिंका ट्रेडिंग (उपरोक्त) का अनुसरण कई मामलों में किया गया है जिसमें *श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ* [(1997) 3 एस.सी.सी 398], *बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य* [(2005) 1 एस.सी.सी 625], *कुलदीप सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार* [(2006) 5 एस.सी.सी 702], *एम.पी. माथुर और अन्य बनाम ओ.टी.सी. और अन्य* [(2006) 13 एस.सी.सी 706] और *रामचंद्र मुरारीलाल भट्टाड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* [(2007) 2 एस.सी.सी 588] सम्मिलित हैं।

44. एक नीतिगत निर्णय और एक संविधि के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रथम दृष्ट्या एक नीतिगत निर्णय का कोई पूर्वप्रभावी संचालन नहीं हो सकता है, एक संविधि का हो सकता है। केवल इसलिए कि यह किसी पिछले संव्यवहार को प्रभावित करता है, यह अपने आप में विधायिका के मार्ग में कोई अधिनियम बनाने या कार्यपालकीय सरकार द्वारा अधीनस्थ विधान की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में बाधक नहीं होगा।

45. हमने पूर्व में देखा है कि कुछ उद्योगों ने जनरेटर भी स्थापित कर लिए थे। उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसा करना पड़ा क्योंकि बोर्ड बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा। क्या यह तर्क देना बहुत अधिक नहीं होगा कि वे उद्योग भी स्थापित नहीं हुए हैं क्योंकि वे उपभोक्ता नहीं बने हैं?हमारा विचार है कि उक्त प्रयोजन के लिए, परंतुक का अर्थ घटाया जाना आवश्यक है। इसे उन पर लागू किया जाना चाहिए जिन्होंने न केवल उक्त तिथि, अर्थात 14.02.1997 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, बल्कि आवेदन भी किया था और मांगी गई राशि जमा करके बिजली कनेक्शन लेने के लिए अन्यथा तैयार थे, जिसके लिए उनके उद्योग विद्युत ऊर्जा का उपभोग करने के लिए अन्यथा तैयार थे।

46. वे कठिन मामले, श्री गांगुली के अनुसार भी, परंतुक के दायरे में लाए जाने चाहिए।

इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं:

1. चूंकि राज्य द्वारा छूट प्रदान की गई थी, इसलिए उसके पास इसे वापस लेने की शक्ति थी।
2. यह ऐसा मामला नहीं है जहां वचनबंधात्मक विबंध के सिद्धांत के आलोक में, राज्य कानून में अनुसूची में संशोधन नहीं कर सकता था।
3. जनहित की विद्यमानता के आलोक में वचनबंधात्मक विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

4. अन्यथा भी अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध अपीलें तरजीह न दिए जाने के कारण, उक्त प्रश्नों को हमारे समक्ष उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

5. मुख्य उपबंध के साथ संलग्न परंतुक का अर्थ घटाया जाना चाहिए जैसा कि उपरोक्त कंडिका 44 और 45 में कहा गया है।

6. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हमने प्रत्येक मामले में शामिल मामले के गुण-दोष पर अलग से विचार नहीं किया है।

हम तदनुसार निर्देश देते हैं। अब इन मामलों की जांच बोर्ड के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत मामलों में निर्देशित किया गया है। उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

एस.के.एस. अपीलें स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।